

RCMS
2019/00006
27

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
सिणधरी

बनाम

जीयाराम वट्ट खं गारा राम काम
जाट निवासी सिणधरी - चारवान

मु. न. 27 सन् 2019

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
1203219	<p>पटवारी हल्का <u>सिणधरी</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2075 में मौजा <u>सिणधरी</u> के खसरा संख्या <u>104/2</u> रकबा <u>0-07 बीघा</u> किस्म भूमि <u>गैर सायल</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर का त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>18/03/19</u> को वमुकाम सिणधरी पेश हो।</p>	
18/3/19	<p>पत्रावली <u>सिणधरी</u> हुई। गैर सायल उपस्थित। नोटिस वाद शामिल प्राप्त हुआ जिसे शामिल मिलान किया गया। गैर सायल ने जवाब देना समय-बादा जो दिया जाकर पत्रावली <u>सिणधरी</u> दिनांक <u>28/03/19</u> को <u>सिणधरी</u> हो जवाब प्राप्त। शामिल मिलान किया गया।</p>	<p>जीयाराम</p>

~~तहसीलदार सिणधरी~~

तहसीलदार सिणधरी
जिला वाड़मेर

28/3/19

पत्रावली आठ प्रस्तुत हुई। गैर सापत्य
जीयाराम उपस्थित। गैर सापत्य ने अति-
क्रमण दृष्टाने हेतु सापत्य याद को दीला
जाकर पत्रावली आईन्द्रा दिनांक 15/4/19
के प्रस्तुत है।

जीयाराम

तहसीलदार सिणधरी
जिला बाड़मेर

15/4/19

पत्रावली आठ प्रस्तुत हुई। गैर सापत्य
उपस्थित। गैर सापत्य ने अति-
क्रमण दृष्टाने हेतु सापत्य याद को दीला
जाकर पत्रावली आईन्द्रा दिनांक
06/5/19 के प्रस्तुत है।

जीयाराम

तहसीलदार सिणधरी
जिला बाड़मेर

6/5/19

पत्रावली आठ प्रस्तुत हुई। गैर सापत्य
जिजानाथ उपस्थित। गैर सापत्य द्वारा दिनांक
18/3/19 के प्रस्तुत जवाब का भवलोकेन
किमा गला, जवाब के कोई विधि सम्भल
लक्ष्य नहीं पाए गये। एवं ही गैर सापत्य
द्वारा कवले के संदर्भ के कोई विधि मान्य
दस्तावेज प्रस्तुत किए। अतः गैर सापत्य को
अतिक्रमण घोषित किया जा रहा है। पत्रावली
केवल मुगार है। निर्धार्य प्रचक्र के लिखा
जाकर प्रस्तुत है।

जीयाराम

तहसीलदार सिणधरी

अर्थ 20/5/19 के राजस्व लेखा पंजिका स. 4 के
पृष्ठ सं. 1... पर क्र.सं. 6... पर जुमाना/फसल
निलामी राशि रु. 50/-... को मांग दर्ज की गई।
D.K.M.
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी